

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 231 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 28/09/2026

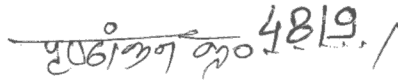
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा के पत्र क्रमांक 136/2026 रीवा दिनांक 25.09.2026 को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण क्रमांक MJC R 2151/2023 राज्य विरुद्ध राजेश सोनी व शंखधर शुक्ला अंतर्गत धारा 344 द.प्र.स. को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा की न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु विशेष न्यायाधीश (अजा0/अजजा0 अत्या0 निवा0 अधि0), रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।



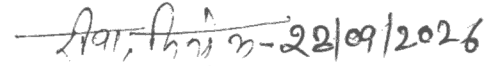
(सतीश चन्द्र राय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

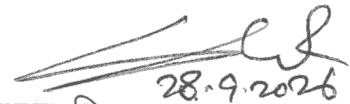


/दो-15-3/90



प्रतिलिपि:-

1. विशेष न्यायाधीश (अजा0/अजजा0 अत्या0 निवा0 अधि0), रीवा जिला रीवा (म.प्र.)।
2. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा जिला रीवा (म.प्र.)।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ जिला रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)